

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ/—/2026, दिनांक:- मई 12, 2026

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के आदेश संख्या 439/2026 दिनांक 28.04.2026 द्वारा दिनांक 21.05.2026 व 22.05.2026 को गठित वृहत्तर पीठ में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री सुभाष चन्द्र यादव, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-बरेली, श्रीमती वन्दना सिंह, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ एवं श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 को नामित किया गया था।

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया है कि वृहत्तर पीठ में नियत कुछ वादों में उनके द्वारा करनिर्धारण अधिकारी के रूप में आदेश पारित किये गये हैं, इसलिए उनका उक्त गठित पीठ में बैठना उचित नहीं होगा। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर के स्थान पर श्री आर0एस0 विद्यार्थी, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ को दिनांक 21.05.2026 व 22.05.2026 को गठित वृहत्तर पीठ में नामित किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/12.05.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ/507/2026, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, बरेली पीठ, बरेली।
- 3-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर।
- 4-वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 5-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 6-वरिष्ठ सहायक (नाजिर), मुख्यालय, लखनऊ।
- 7-कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्र0 निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।